संख्या-472/2017/2343/22-2-2016-17(157)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊः दिनांक 22 जून, 2017***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गिरधारी लाल पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी जनपद-ललितपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 02.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गिरधारी लाल पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम बम्हौरी कलां, थाना मडावरा, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पूर्व में हुयी हत्या एवं ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर जातिगत समीकरण को लेकर दिनांक 04.05.1976 को अपने 43 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, लाठियों व बल्लम से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या तथा 03 अन्य व्यक्तियों को घायल कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-68/1976 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 323/149 के अन्तर्गत मा0 अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 10.10.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.04.2000 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.03.2016 तक 15 वर्ष 01 माह 01 दिन की अपरिहार एवं 20 वर्ष 01 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि सिद्धदोष बन्दी जघन्य अपराध में सहअभियुक्त है एवं 07 सहअभियुक्त कारागार में है। अतः समय पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गिरधारी लाल (बन्दी संख्या-5985) पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी जनपद-ललितपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-472/2017/2343/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in